



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
सेक्टर-7/23, गोमती नगर विस्तार, निकट 100 डायल आफिस लखनऊ-226010

website-www.sudaup.org

e-mail : pmusuda@gmail.com

पत्रांक— ३३०/२७/ तीन/ 2017-टी०सी०

दिनांक— ० / मई, 2018

समस्त परिं अधिकारी/ सहा० परिं अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0।

विषय—प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत पी०एफ०एम०एस० पोर्टल से जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि के भुगतान किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत शासनादेश सं0-101/2018/364/69-1-14(235)/2015 दिनांक 21.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर सं0-8 में उल्लेख किया गया है कि “उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक आवास हेतु अनुदान के 2.5 लाख की धनराशि में केन्द्र सरकार से अनुदान की 60 प्रतिशत धनराशि तथा राज्य सरकार से 40 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित है। योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से धनराशि एकमुश्त प्राप्त हो रही है तथा केन्द्र व राज्य सरकार दोनों से प्राप्त धनराशि मिलकर एक किटी बनता है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त धनराशि इण्टर सीएसएमसी फंजीएबुल है।”

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के बिन्दु सं0-08 के अनुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश/राज्यांश की १००% धनराशि को 60:40 के अनुपात में लाभार्थियों का श्रेणीवार रिकॉर्ड तैयार कराते हुए जनपद स्तर से ही पी०एफ०एम०एस० पोर्टल द्वारा नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपि—

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 को सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, सूडा उ0प्र0।
3. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा उ0प्र0।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उपरोक्त, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2018

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) निर्माण का क्रियान्वयन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ में, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 11.01.2018 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) गाइड लाइन के अनुसार केन्द्रांश की धनराशि 40:40:20 के अनुपात में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के उपर्युक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक में चार किश्तों में धनराशि उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया है।

2. उपर्युक्त के कम में आपका ध्यान प्रधानमंत्री सबके लिए आवास (शहरी) स्कीम दिशा निर्देश के पैरा-7.7 में निम्न व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जाता है। 'चाँकि इस घटक के लिए सहायता राशि राज्य सरकार को केन्द्रांश से धनराशि एक मुश्त जारी की जायेगी, तथापि राज्य सरकार को आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर 3-4 किश्तों में लाभार्थी को वित्तीय सहायता जारी करनी चाहिए। लाभार्थी स्वयं की धनराशि अथवा किसी अन्य निधि का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकता है तथा व्यक्तिगत लाभार्थी निर्माण के अनुपात में भारत सरकार सहायता जारी की जायेगी। भारत सरकार सहायता की 30,000/- रु० अंतिम किश्त आवास पूर्ण हो जाने के पश्चात ही जारी की जायेगी।'

3. पैरा-14.2 में यह प्राविधिक है कि "विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता सीएसएमसी के अनुमोदन के पश्चात और मंत्रालय के एकीकृत वित्त विभाग की सहमति से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जायेगा। केन्द्रीय अंश का हिस्सा 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की 3 किश्तों में जारी किया जायेगा।"

4. पैरा-14.5 में यह प्राविधिक है कि "...प्रत्येक संघटक के लिए ग्राहा केन्द्रीय सहायता की 40 प्रतिशत की पहली किश्त जारी करने के लिए सीएसएमसी परियोजनावार सूचना पर विचार करेगी....।"

5. पैरा-14.6 में यह प्राविधिक है कि "40 प्रतिशत की दूसरी किश्त राज्य द्वारा जारी धनराशियों के साथ केन्द्रीय सहायता की पूर्व में जारी किश्त के 70 प्रतिशत उपयोग और वास्तविक प्रगति के अधार पर जारी की जायेगी।"

6. पैरा-14.7 में यह प्राविधिक है कि "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नगरों अथवा कार्यान्वयन एजेन्सियों को और केन्द्रीय अनुदान जारी करेगे। शिथिनता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति के आधार पर निधियों जारी करने की अनुमति इस विश्वास पर दी जाती है कि परियोजना तीव्रता से कार्यान्वयन की जानी है अतः राज्य/संघ क्षेत्र और अधिक निधियों जारी कर सकती हैं।"

7. पैरा-14.8 में यह प्राविधिक है कि "केन्द्रीय सहायता की 20 प्रतिशत की अंतिम किश्त पूर्व जारी केन्द्रीय निधियों के 70 प्रतिशत उपयोग और प्रत्येक परियोजना में आवासों और अवसंरचना निर्माण सहित, जो भी लागू हो, परियोजना के पूरा होने के अधीन जारी की जायेगी।"

8. उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रत्येक आवास हेतु अनुदान के 2.5 लाख की धनराशि में केन्द्र सरकार से अनुदान की 60 प्रतिशत धनराशि तथा राज्य सरकार से 40 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित है। योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से धनराशि एकमुश्त प्राप्त हो रही है तथा केन्द्र व राज्य सरकार दोनों से प्राप्त धनराशि मिलकर एक किटी बनता है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त धनराशि इंटर सीएसएमसी फंडीएब्सल है।

9. स्कीम के दिशा निर्देश के पैरा-7.7 में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर 3-4 किश्तों में लाभार्थी को वित्तीय सहायता जारी करेगा। इस बिन्दु पर राज्य सरकार ने लाभार्थी को 3 किश्तों में धनराशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। चूंकि भारत सरकार प्राप्त धनराशि आवास निर्माण प्रारम्भ होने से पूर्व नहीं दी जा सकती है, इस बिन्दु के व्यक्तिगत राज्य सरकार ने राज्यांश के 50,000/- को आवास स्वीकृति के उपरांत और आवास निर्माण प्रारम्भ होने से पूर्व अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त पैरा में दूसरा प्राविधान यह है कि भारत सरकार की सहायता राशि की 30,000/- की अंतिम किश्त आवास पूर्ण होने के पश्चात जारी की जायेगी।

10. पैरा-14.2 में यह प्राविधान है कि केन्द्रीय सहायता की धनराशि 1.50 लाख की सीएसएमसी के अनुमोदन के पश्चात राज्यों/संघ क्षेत्र को 40:40:20 के अनुपात की 3 किश्तों में जारी किया जायेगा। यह प्रतिवंध दिशा-निर्देश में नहीं है कि यही रेसियो (40:40:20) राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को धनराशि उपलब्ध कराने में भी लागू करना होगा। उक्त अवधारणा के विपरीत पैरा 14.7 में यह उल्लेख है कि परियोजना के तेज क्रियान्वयन के लिए राज्य अधिक निधियों भी जारी कर सकती हैं। इसका आशय यह कि राज्य परियोजना पर अपने निर्धारित मानकों से अधिक धनराशि मकान के तेज निर्माण हेतु व्यय कर सकती है और केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर उसे रिकूप किया जा सकता है।

11. भारत सरकार से दूसरी किश्त की धनराशि की मौग राज्य सरकार द्वारा जारी धनराशि तथा केन्द्र सरकार से जारी की गयी धनराशि दोनों को सम्मिलित करते हुए उसके 70 प्रतिशत उपयोग के पश्चात की जा सकती है।

12. आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा आवास स्वीकृत के उपरांत एडवांस के रूप में लाभार्थी को अगर धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो प्रदेश के अधिकांश लाभार्थी आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की स्थिति में नहीं है और अगर वह ऐसा करेंगे तो बहुतायत मसलों में उन्हें ऊंचे दर पर व्याज लेना पड़ेगा। इसका उल्लेख शासनादेश दिनांक 11.01.2018 में किया गया है। यदि लाभार्थी को उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि में 40:40:20 का अनुपात 3 किश्तों का रखा जाये तो राज्यांश की अग्रिम धनराशि को मिलाकर कुल चार किश्तों में धनराशि अंतरित करना होगा, क्योंकि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की अग्रिम के रूप में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। योजना के अन्तर्गत एक किश्त के बढ़ने का प्रभाव यह होगा कि आवास निर्माण में अत्याधिक विलम्ब होगा क्योंकि प्रत्येक किश्त अंतरण में 4-6 माह का समय धनराशि लाभार्थी को पहुंचाने में लगता है। कोई नई किश्त के पूर्व जीओ ईंगिं, सत्यापन आदि कार्यों को पुनः कराया जाना होगा। अतः किश्त की संख्या बढ़ाने से लाभार्थी द्वारा कराये जा रहे आवास निर्माण में और व्यवधान होगा (ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरी किश्त लाभार्थी तक पहुंचे इससे पूर्व पहली किश्त की धनराशि समाप्त हो जाती है और मौके पर कार्य रुक जाता है) और कई माह का अतिरिक्त समय आवास पूर्ण होने में लगेगा।

उपर्युक्त के व्यक्तिगत शासनादेश दिनांक 11.01.2018 के अनुसार लाभार्थी को 3 किश्तों में (50,000/- : 1,50,000/- : 50,000/-) धनराशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य तीव्र गति से कराया जाये।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-101/2018/364/69-1-2018 तद्विनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, माओ मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
3. संयुक्त सचिव (हाउसिंग फार आल) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, ३०प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, ३०प्र० शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, ३०प्र० शासन।
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, ३०प्र० शासन।
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, ३०प्र० शासन।
14. निदेशक, (हाउसिंग फार आल निदेशालय) भारत सरकार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, ३०प्र० शासन।
16. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा, उत्तर प्रदेश।
17. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगत, उत्तर प्रदेश।
19. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
20. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, जल निगम, लखनऊ।
23. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
24. मुख्य नगर एवं न्याम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
25. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।